

२७/१०/२०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला (राज.)

ग्रामीण अधिकारी:- श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस.

करण संख्या:- 10/2025

तारीख दायर-04/06/2025

तारीख निर्णय-27.02.2026

1. श्री गंगाराम पिता बाबरीया मीणा निवासी बगेडी पोस्ट भरेव तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
2. श्री पांचीया पिता बगरीराम उर्फ बजरीराम मीणा निवासी बगेडी पोस्ट भरेव तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
3. श्रीमती दुर्गा पत्नी बगरीराम उर्फ बजरीराम मीणा निवासी बगेडी पोस्ट भरेव तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
4. श्री रामेश्वर पिता बाबरीया मीणा निवासी बगेडी पोस्ट भरेव तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)

.....वादीगण

बनाम

1. श्रीमती नारायणी पत्नी गोतम मीणा निवासी बगेडी पोस्ट भरेव तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
2. श्री केशु पिता गोतम मीणा निवासी बगेडी पोस्ट भरेव तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
3. श्री रूपा पिता गोतम मीणा निवासी बगेडी पोस्ट भरेव तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
4. श्री भेरा पिता गोतम मीणा निवासी बगेडी पोस्ट भरेव तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
5. श्री कना पिता गोतम मीणा निवासी बगेडी पोस्ट भरेव तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
6. श्री रामा पिता गोतम मीणा निवासी बगेडी पोस्ट भरेव तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
7. श्री शंकर पिता गोतम मीणा निवासी बगेडी पोस्ट भरेव तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
8. श्री नाथु पिता गोतम मीणा निवासी बगेडी पोस्ट भरेव तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
9. श्रीमती सोनकी पुत्री गोतम पत्नी चुन्नीलाल मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
10. श्रीमती लोगरी पत्नी गोतम पिता गोतम मीणा निवासी बडलीया चोराहा पोस्ट बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
11. श्री पदमा पिता भेरा मीणा निवासी बगेडी पोस्ट भरेव तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
12. श्रीमती कानकी पत्नी पांचीया मीणा निवासी बगेडी पोस्ट भरेव तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
13. श्री बंशी पिता पांचीया मीणा निवासी बगेडी पोस्ट भरेव तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
14. श्री लालचन्द पिता पांचीया मीणा निवासी बगेडी पोस्ट भरेव तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)



15. श्री बालचन्द्र पिता पांथीया मीणा निवासी बगैडी पोस्ट भरेव तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
16. श्री करमचन्द्र पिता लालु मीणा निवासी बगैडी पोस्ट भरेव तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
17. श्रीमती हकरी पत्नी कालु मीणा निवासी बगैडी पोस्ट भरेव तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
18. श्री हिरा पिता कालु मीणा निवासी बगैडी पोस्ट भरेव तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
19. श्रीमती मंगली पुत्री कालु पत्नी पपीया मीणा निवासी गांव पावटी पोस्ट अग्गड तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
20. श्रीमती होमली पुत्री कालु पत्नी गांगला मीणा निवासी मदावता तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
21. श्रीमती मेना पुत्री कालु पत्नी दालतराम मीणा निवासी टेकण तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
22. श्रीमती गंगा पुत्री कालु पत्नी उदा मीणा निवासी धोलिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
23. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलूम्वर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री नरेश कुमार स्वर्णकार
प्रतिवादी की ओर से- मुकेश चौबिसा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मैदानों विसाडी पोस्ट तहसील लसाडिया जिला के खाता संख्या नया 49 व पुराना 51 में वर्णित आराजी नम्बर 437 रकबा 0.3564 हैक्टेयर, व खाता संख्या नया 10 पुराना 12 में वर्णित आराजी नम्बर 432 रकबा 0.5940 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 519 रकबा 0.4104 हैक्टेयर, कित्ता 02 कुल रकबा 1.0044 हैक्टेयर तथा खाता संख्या नया 82 पुराना 80 में वर्णित आराजी नम्बर 433 रकबा 2.7648 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 435 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 438 रकबा 0.0324 हैक्टेयर कुल कित्ता 03 कुल रकबा 2.8296 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगणों की संयुक्त स्वामित्व खातेदार होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से कायिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगणों को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तवा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगणों द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नहीं दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादीगणों का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी का विधिक विभाजन बाई मिट्स एण्ड वाउडस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।



(Handwritten signature)

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगणों द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने से प्रतिवादीगणों का जवाब बन्द किया गया व वादीगणों का वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है तों प्रतिवादीगणों को कोई आपत्ति नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे हैं, जो अपने वादपत्र में अंकित किये हैं।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगणों की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादीगणों एवं प्रतिवादीगणों वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार हैं। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहते हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीगणों का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगणों का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। मौजा बगेडी पटवार मण्डल टटाकीया तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 49 व पुराना 51 में वर्णित आराजी नम्बर 437 रकबा 0.3564 हैक्टेयर, व खाता संख्या नया 10 पुराना 12 में वर्णित आराजी नम्बर 432 रकबा 0.5940 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 519 रकबा 0.4104 हैक्टेयर, किता 02 कुल रकबा 1.0044 हैक्टेयर तथा खाता संख्या नया 82 पुराना 80 में वर्णित आराजी नम्बर 433 रकबा 2.7648 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 435 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 438 रकबा 0.0324 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 2.8296 हैक्टेयर भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्धान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है की बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करे।

मे सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय



उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)